रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33001/95

REGISTERED No. DL—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1995 (ज्येष्ठ 27, 1917)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1995 (JYAISTHA 27, 1917)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	569
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	531
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	753
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	571
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	561
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	1039
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	79
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

PAGE

PART I SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 569

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 531

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . 7

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 753

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 571

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 551

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1039

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . 79

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi *

*Following not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1995

संकल्प

सं० फा० 4(3)/93-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 25 अगस्त, 1994 के संकल्प संख्या फा० 4(3)/93-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित नामों को जोड़ा जाता है :—

क्र० सं० 6

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	सदस्य

क्र० सं० 29

उप सचिव (अनु० और सम्मे०) संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमण्डल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

देवराज तिवारी
संयुक्त सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1995

संकल्प

सं०/वसु०/हिन्दी/32/93—इस मंत्रालय के 15 मई, 1990 के संकल्प संख्या वसु/हिन्दी/621/8/89 के अधिक्रमण में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित इस समिति की संरचना नीचे लिखे अनुसार होगी :—

1. विदेश मंत्री	अध्यक्ष
2. विदेश राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. विदेश राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

संसद सदस्य :

4. श्री जी० आर० भट्ट,
संसद सदस्य (राज्य सभा)

5. श्री सुरेश पचौरी,
संसद सदस्य (राज्य सभा)

6. श्री अनन्त राव देशमुख,
संसद सदस्य (लोक सभा)

7. श्री सूरजभानू सोलंकी,
संसद सदस्य (लोक सभा)

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि :

8. श्री इकबाल सिंह,
संसद सदस्य (राज्य सभा)

9. श्री चन्दू भाई देशमुख,
संसद सदस्य (लोक सभा)

विदेश मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य :

10. श्री सुधाकर पाण्डेय
पूर्व सांसद, प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी ।

11. श्री एम० के० वेलायुधन नायर
सचिव,
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ ।

12. श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी,
निदेशक,
बी० एल० इंस्टीट्यूट आफ इण्डोलॉजी,
दिल्ली ।

13. श्री वेद प्रताप वदिक,
संपादक "भाषा" (पी० टी० आई०) ।

14. श्री बच्चू प्रसाद सिंह,
सूरीनाम में भारत के पूर्व राजदूत ।

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य :

15. श्री हरी सिंह — राजभाषा द्वारा नामित सदस्य
हिन्दी एवं समाजसेवी,
जम्मू व कश्मीर ।

16. डा० श्याम किशोर मिश्रा, — राजभाषा द्वारा नामित सदस्य
भूतपूर्व विधायक,
सीतापुर ।

17. श्री सिराजुद्दीन मफदरअली देशमुख, — राजभाषा द्वारा नामित सदस्य
एडवोकेट,
महाराष्ट्र ।

18. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का प्रतिनिधि

सरकारी सदस्य

1. विदेश सचिव — सदस्य सचिव

2. सचिव,
राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

3. अपर सचिव (प्रशासन),
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

4. अपर सचिव (एफ० ए०),
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

5. संयुक्त सचिव (यू० एन०)
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

6. संयुक्त सचिव (सी० पी० वी०)
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

7. संयुक्त सचिव (समन्वय)
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

8. संयुक्त सचिव (प्रशासन)
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

9. संयुक्त सचिव (विदेश प्रचार)
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

10. महानिदेशक,
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्,
नई दिल्ली ।

11. संयुक्त सचिव
राजभाषा विभाग,
नई दिल्ली ।

12. उप सचिव (हिन्दी)/सहायक निदेशक (राजभाषा)
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

समिति का कार्यक्षेत्र :

हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व राजभाषा में निहित प्रावधानों और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के संबंध में जारी किए गए निर्देशों अनुदेशों के कार्यान्वन के बारे में और संबंधित विभागों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में सलाह देना है । यदि कोई हिन्दी सलाहकार समिति राजभाषा नीति या उसके संबंध में जारी किए गए किसी निर्देश/अनुदेश में कोई परिवर्तन सुझाती है तो ऐसे सुझाव राजभाषा विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना अमल में नहीं लाए जायेंगे ।

समिति का कार्यकाल :

1. समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख की अधिसूचना से तीन वर्ष का होगा, परन्तु समिति में नामजद कोई संसद सदस्य अगर संसद का सदस्य न रहे तो वह समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा ।

2. समिति के कार्यकाल के दौरान रिक्त स्थानों पर नियुक्त सदस्य केवल शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे ।

विविध :

1. समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली, में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है ।

2. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

विवेक काटजू
संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1995

संकल्प

फा० सं० 443/4/94-सी० शु०-IV—राजस्व विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1992 के संकल्प सं० 443/1/91 सी० शु०-IV के तहत यथा गठित सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है :—

(I) (क) अध्यक्ष — वित्त मंत्री
(ख) उपाध्यक्ष — वित्त राज्य मंत्री (राजस्व एवं व्यय)

(II) संसद सदस्य
(क) लोक सभा — श्री आर० प्रभु
(ख) राज्य सभा — श्री एम० राजशेखर मूर्ति

(III) पदेन सदस्य

(क) अध्यक्ष,
फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ।

(ख) अध्यक्ष,
एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ।

(ग) अध्यक्ष,
आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन ।

(घ) अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन ।

(ङ) अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज ।

(च) अध्यक्ष,
कानफैडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री ।

(छ) निदेशक,
नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी ।

(ज) अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ फ्रेट फारवार्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया ।

(झ) सचिव,
नेशनल एलायंस फार यंग इंटरप्रनेअर्स ।

(ञ) महानिदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड

(IV) वित्त सचिव

(V) सचि (राजस्व)

(VI) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ।

(VII) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी सदस्य ।

(VIII) डा० राजा जे० चेलैय्या, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी ।

(IX) डा० एस० एल० राव, नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च ।

परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि दो वर्ष होगी । संसद सदस्यों के मामले में कार्य अवधि दो वर्ष तक अथवा उनके संसद सदस्य बने रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रहेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति के सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार, महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और सभी विभागों प्रेस सूचना ब्यूरो (पी० आई० बी०) मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी समाहर्ताओं तथा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परामर्शदात्री परिषद के सभी सदस्यों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

पी० आर० बी० रमणन
संयुक्त सचिव

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मई 1995

सं० 27/5/95-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री टी० पी० शम्मी, निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

आर० एन० वासवानी
अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1995

संकल्प

सं० 5(5)/92-डी० पी० आर०/ई० जी० जी० एस०—औद्योगिक विकासटक के लिए विकास नामिका के पुनर्गठन से संबंधित भारत सरकार के तारीख 22-12-94 के संकल्प सं० 5(5)/92-डी० पी०आर०/ई० जी० जी० एस० में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार एतद्द्वारा क्रम सं० 2 के स्थान पर निम्नलिखित परिवर्तन करती है :—

क्रम सं०		
2.	श्री० अ० ए० अहमद संयुक्त सचिव औद्योगिक विकास विभाग नई दिल्ली ।	सदस्य

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

पुष्पेन्द्र राय
निदेशक

जल संसाधन मंत्रालय

(बेसिन प्रबंध अनुभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1995

सं० 15/2/91-बी० एम०—तट कटाव बोर्ड जिसका पुनर्गठन 28-8-89 के संकल्प सं० 15(37)/86-एफ० सी० के द्वारा किया गया था तट कटाव प्रक्रिया और इस समस्या को वैज्ञानिक एवं समन्वित ढंग से सुलझाने के वास्ते आवश्यक उपायों का व्यापक अध्ययन करने में लगा हुआ है । संरक्षित तटीय क्षेत्रों में विकास की महत्वपूर्ण क्षमता और तटीय क्षेत्रों में सघन आबादी वाले क्षेत्रों में आबादी दबाव को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड को संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ उपलब्ध विभिन्न संसाधन क्षमता का पता लगाने और इसके विकास पर अत्याधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । इस उद्देश्य के साथ ही एतद्द्वारा तट कटाव बोर्ड का नाम बदल कर "तट सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति" रखा जाता है । इसका सचिवालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली में है ।

2. तटीय सुरक्षा एवं विकास सलाहकार समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

1.	सदस्य (आर० एम०) केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली ।	अध्यक्ष

2. सलाहकार (आई० ए०), सदस्य
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
सी० जी० ओ० काम्पलैक्स,
नई दिल्ली ।

3. निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र,
पुणे ।

4. सलाहकार (आई० एण्ड क० क्षे वि०), सदस्य
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

5. विकास सलाहकार (बन्दरगाह), सदस्य
भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

6. निदेशक, सदस्य
भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान,
गोआ ।

7. आयुक्त (परियोजना), सदस्य
जल संसाधन मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

8. उप महासिदेशक, सदस्य
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
(केरल एवं अन्य दक्षिणी तटवर्ती राज्यों
के तटीय क्षेत्रों के प्रभारी),
देहरादून ।

9. सचिव, सदस्य
सड़क एवं भवन विभाग,
गुजरात सरकार,
सचिवालय,
गांधी नगर ।

10. सचिव, सदस्य
विकास एवं योजना विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

11. सदस्य, सदस्य
राज्य योजना बोर्ड,
महाराष्ट्र सरकार,
बम्बई ।

12. प्रमुख इंजीनियर (सिंचाई), सदस्य
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
पन्जागुट्टा,
हैदराबाद ।

13. प्रमुख इंजीनियर (सिंचाई), सदस्य
उड़ीसा सरकार,
भुवनेश्वर ।

14. मुख्य इंजीनियर (सिंचाई), सदस्य
गोआ सरकार,
पणजी, गोआ ।

15. प्रमुख (परियोजना प्रभाग), सदस्य
राज्य योजना बोर्ड,
केरल सरकार,
तिरूअनन्तपुरम ।

16. निदेशक, सदस्य
परियोजना निष्पादन प्रभाग,
योजना विभाग,
कर्नाटक सरकार,
बंगलौर ।

17. अंशकालिक सदस्य, सदस्य
राज्य योजना आयोग,
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास ।

18, 19 एवं 20 तीन गैर सरकारी सदस्य जो तट सदस्य
सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों
प्रत्येक तीन वर्षों में चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाता है ।

21. मुख्य इंजीनियर (नदी आकृति विज्ञान), सदस्य सचिव
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

3. कार्य

तट सुरक्षा एवं विकास सलाहकार समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे—

(i) तट रेखा को प्रभावित करने वाली तटीय प्रक्रियाओं में विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों से संबंधित आंकड़ों का तटीय इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र और अन्य राज्य संगठनों के माध्यम से संग्रहण, संकलन, मूल्यांकन और प्रकाशन के समन्वित कार्यक्रम का आयोजन करना ।

(ii) केन्द्र और राज्य तटीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थानों की सहायता से सामान्य अन्वेषण अध्ययन और अनुसंधान करना ।

(iii) राज्य प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए तट सुरक्षा उपायों के निर्माण तकनीकों में सिद्धांतों का निर्धारण करना ।

(iv) राज्यों द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन की पुनरीक्षा करना और समय-समय पर ऐसे अनुभव के आधार पर विकसित डिजाइन तकनीकें तैयार करना ।

(v) तटीय सुरक्षा के क्षेत्र में तटीय सुरक्षा और तकनीकी अन्तरण के कार्य में लगे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ अन्तः सम्पर्क स्थापित करना ।

(vi) राज्य सरकारों की सहायता से तटीय सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ विकसित किए जाने वाले तटीय क्षेत्रों का पता लगाना ।

(vii) विभिन्न तकनीकी आर्थिक कार्यकलापों में विकास क्षमता का पता लगाना और विकास हेतु कार्यक्रम तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परामर्श देना ।

(viii) तटीय सुरक्षा और तटीय जोनों के विकास के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं तैयार करना ।

(ix) विभिन्न तटीय सुरक्षा एवं विकास कार्यों को राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिए उनका मूल्यांकन एवं सिफारिश करना ।

(x) तटीय सुरक्षा एवं विकास परियोजनाओं का प्रभावी एवं समय पर प्रबोधन करना ।

(xi) तटीय विकास से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए कार्य योजना की पुनरीक्षा करना और पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर प्रगति का प्रबोधन करना ।

4. सलाहकार समिति

(i) अपनी बैठकें ऐसे स्थानों पर इस प्रकार से आयोजित करेगी जिसका निर्धारण सलाहकार समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया हो ।

(ii) अपनी बैठकों में ऐसे अन्य विशेषज्ञों/व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकती है जिसे यह आवश्यक समझती है ।

(iii) ऐसी उप समितियां गठित कर सकती है जिसे यह किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती हो ।

(iv) जब यह आवश्यक समझे, अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करनी आवश्यक है ।

(v) यह अपने कार्यकलापों के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को सीधे रिपोर्ट करेगी ।

(vi) गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का भुगतान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भारत सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक 2-2-1966 के संकल्प संख्या डी० डब्ल्यू० 515 (77)/63, दिनांक 4-6-1971 के सं० एफ० सी० 15 (3)/71 और 28-8-1989 के सं० 15/3/86-एफ० सी० का अधिक्रमण करते हुए, यह संकल्प संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी एवं सैनिक सचिव, प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत के महालेखा नियंत्रक, योजना आयोग और भूतल परिवहन रक्षा, मानव संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वित्त (व्यय विभाग), गृह, रेलवे, शहरी विकास मंत्रालयों को सूचना हेतु प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकारों से सामान्य सूचना के लिए राज्य राजपत्रों में इसे प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए ।

एम० एस० रेड्डी
सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 1995

सं० क्यू०-16012/1/93-ई० एस० ए० (एन० एल० आई०)—जब कि दिनांक 18 अगस्त, 1994 की अधिसूचना सं० क्यू०-16012/1/93-ई० एस० ए० (एन० एल० आई०) के द्वारा राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया था ।

अब उपरोक्त अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है :—

निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि

"केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (9)" :—

"श्री कौसल राम, सदस्य
संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

श्री विवेक महरोत्रा, सदस्य
संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

रंजना काले
उप सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 16th May 1995

RESOLUTION

No. F. 4(3)/93-Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F. 4(3)/93-Hindi dated 25th August, 1994 regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs the following names are added :—

S. No. 6

Member

Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs

S. No. 29

Member

Deputy Secretary (R&C) Ministry of Parliamentary Affairs.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt. Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Commission on Official Language, Comptroller and Auditor General of India; and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

DEO RAJ TIWARI, Jt. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th May 1995

No. Q/Hindi/621/32/93.—In supersession of this Ministry's resolution No. Q/Hindi/621/8/89 dated 15th May, 1990 the Govt. of India in the Ministry of External Affairs have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of External Affairs. The composition of the reconstituted Committee shall be as follow :—

1. Minister of External Affairs—Chairman.
2. Minister of State for External Affairs—Vice Chairman.
3. Minister of State for External Affairs—Vice Chairman.

MEMBERS OF PARLIAMENT

4. Shri G. R. Mattu, Member of Parliament (Rajya Sabha).
5. Shri Suresh Pachori, Member of Parliament (Rajya Sabha).
6. Shri Anant Rao Deshmukh, Member of Parliament (Lok Sabha).
7. Shri Suraj Bhanu Solanki, Member of Parliament (Lok Sabha).

REPRESENTATIVES OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

8. Shri Ikbal Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha).
9. Shri Chandu Bhai Deshmukh, Member of Parliament (Lok Sabha).

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

10. Shri Sudhakar Pandey, Ex-Member of Parliament, Gen. Secretary, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi.
11. Shri M. K. Velayudhan Nayar, Secretary, Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh.
12. Shri Lakshmi Narayan Tiwari, Director, B L, Institute of Indology, Delhi.
13. Shri Ved Pratap, Editor "Bhasa", (P.T.I.).
14. Shri B. P. Sinha, Ex-Ambassador of India in Suriname.

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE

15. Shri Hari Singh, Hindi & Samaj Sevi, J&K.
16. Dr. Shyam Kishore, Ex-MLA, Sitapur, U.P.
17. Shri Sirazuddin Safdar Ali Deshmukh, Advocate, Maharashtra.
18. Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.

OFFICIAL MEMBERS

1. Foreign Secretary—Member Secretary.
2. Secretary,
   Deptt. of Official Language,
   Ministry of Home Affairs,
   New Delhi.
3. Additional Secy. (AD),
   Ministry of External Affairs,
   New Delhi.
4. Additional Secretary (PA),
   Ministry of External Affairs,
   New Delhi.
5. Joint Secretary (UN),
   Ministry of External Affairs,
   New Delhi.
6. Joint Secretary (CPV),
   Ministry of External Affairs,
   New Delhi.
7. Joint Secretary (Coord),
   Ministry of External Affairs,
   New Delhi.
8. Joint Secretary (AD),
   Ministry of External Affairs,
   New Delhi.
9. Joint Secretary (XP),
   Ministry of External Affairs,
   New Delhi.
10. Director General,
    Indian Council of Cultural Relations,
    New Delhi.
11. Joint Secretary,
    Deptt. of Official Language,
    New Delhi.
12. D S (Hindi)/Asstt. Dir. (Official Language),
    Ministry of External Affairs,
    New Delhi.

II FUNCTIONS

The function of the Hindi Salahakar Samiti is to advise the Ministry with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Language Act. and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Deptt. of Official Language relating to Official Language and also in regard to progressive use of Hindi. In case Hindi Salahakar Samiti suggests any change in the Official Language Policy or any instructions issued regarding Official Language the same should be referred to Department of Official Language and should not be implemented without first obtaining the concurrence of the Deptt. of Official Language.

III TENURE

The term of the Committee shall be three years from the date of its formation, provided :

I. A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a member of Parliament.

II. Members appointed against mid-term vacancies shall be for the remaining period only.

IV GENERAL

1. The headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

2. Non-official members of the Committee will be paid travelling allowance for attending the meetings of the committee at the rates prescribed by the Government of India from time to time and as admissible under rules.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to :

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, all members of the Committee and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

VIVEK KATJU, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 4th May 1995

RESOLUTION

F. No. 443/4/94-Cus.IV.—The Customs and Central Excise Advisory Council as constituted under the Department of Revenue Resolution No. 443/1/91-Cus.IV dated 16-9-92 is re-constituted as under :—

(i) (a) Chairman—Finance Minister.

(b) Vice-Chairman—Minister of State for Finance (Revenue & Expenditure).

(ii) Member of Parliament

(a) Lok Sabha—Shri R. Prabhu.

(b) Rajya Sabha—Shri M. Rajsekara Murthy.

(iii) Ex-Officio Members

(a) President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(b) President, Associated Chambers of Commerce and Industry.

(c) President, All India Manufactures Organisation.

(d) President, Federation of Indian Export Organisations.

(e) President, Federation of Associations of Small Scale Industries.

(f) President, Confederation of Indian Industry.

(g) Director, National Institute of Public Finance and Policy.

(h) President, Federation of Freight Forwarder's Association in India.

(i) Secretary, National Alliance for Young Entrepreneurs.

(j) Director General, Indian Institute of Foreign Trade.

(iv) Finance Secretary.

(v) Secretary (Revenue).

(vi) Chairman, Central Board of Excise and Customs.

(vii) All Members of the Central Board of Excise and Customs.

(viii) Dr. Raja J. Chelliah, National Institute of Public Finance and Policy.

(ix) Dr. S. L. Rao, National Council of Applied Economic Research.

The term of office for the Members of the Council shall be two years. In case of Members of Parliament, the term shall be two years or till they cease to be Members of Paliament, whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General Central Revenues, Controller General of Accounts, all Ministries and Departments of the Government of India, Press information Bureau, Chief Controller of Accounts, Central Excise and Customs, all Collectors of Customs and Central Excise and all Members of Customs and Central Excise Advisory Council.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. R. V. RAMANAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 18th May 1995

No. 27/5/95-CB.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorised Shri T. P. SHAMI, Inspecting Officer, Officer of RD, Bombay in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 18th May 1995

RESOLUTION

No. 5(5)/92-DPR/EGGS.—In partial modification of Government of India Resolution No. 5(5)/92-DPR/EGGS, dated 22-12-94 reconstituting the Development Panel for Explosive Industry the following substitution is hereby made against Sl. No. 2 :—

Sl. No. 2

Sh. A. E. Ahmad.
Jt. Secy.
Department of Industrial Development,
New Delhi. —Member

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

PUSHPENDRA RAI, Director

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th April 1995

RESOLUTION

No. 15/2/91-BM.—The Beach Erosion Board, reconstituted through Resolution No. 15(3)/86-FC dated 28-8-1989, is engaged in comprehensive study of the Coastal Erosion process in the entire country and measures required to tackle the problem in a Scientific and Coordinated manner. Considering the vast potential of the development in the protected

coastal zone and the pressure of population in the densely populated area in the coastal zone, it has become pertinent that the Board should address its attention to identification and development of the various resource potential available behind the protected areas. With this objective in view, the Beach Erosion Board is hereby renamed as "Coastal Protection and Development Advisory Committee" with its Secretariat at Central Water Commission, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi.

2. The composition of the Coastal Protection and Development Advisory Committee shall be as follows :

Chairman

1. Member (RM),
C.W.C., New Delhi.

Members

2. Adviser (Impact Assessment),
M/o Environment & Forests,
CGO Complex, New Delhi.

3. Director, C.W.P.R.S., Pune.

4. Adviser (I & CAD),
Planning Commission, New Delhi.

5. Development Adviser (Ports),
M/o Surface Transport, New Delhi.

6. Director, National Institute of
Oceanography, Goa.

7. Commissioner (Projects),
M/o Water Resources, New Delhi.

8. Dy. Director General,
Geological Survey of India,
(I/c of Coastal Areas of Kerala &
other Southern Coastal States),
Dehradun (U.P.).

9. Secretary,
Roads & Buildings Deptt. Govt. of Gujarat,
Sachivalaya, Gandhinagar.

10. Secretary,
Development & Planning Deptt.,
Govt. of West Bengal, Calcutta.

11. Member,
State Planning Board,
Govt. of Maharashtra, Bombay.

12. Engineer-In-Chief (Irrigation),
Govt. of Andhra Pradesh
Panjagutta, Hyderabad.

13. Engineer-In-Chief (Irrigation),
Govt. of Orissa, Bhubaneswar.

14. Chief Engineer (Irrigation),
Govt. of Goa, Panaji-Goa.

15. Chief (Projects Division),
State Planning Board,
Govt. of Kerala, Thiruvanathapuram.

16. Director,
Project Formulation Division,
Planning Deptt.,
Govt. of Karnataka,
Bangalore.

17. Part Time Member,
State Planning Commission,
Govt. of Tamil Nadu,
Madras.

18. 19 & 20. Three non officials who are expert in the field of Coastal Protection and Development
To be rotated every 3 years Members

Member-Secretary

21. Chief Engineer (River Morphology),
Central Water Commission,
R. K. Puram, New Delhi.

3. *Functions*

The functions of the Coastal Protection and Development Advisory Committee would be as follows :—

(i) to organised a coordinated programme of collection, compilation, evaluation and publication of data relating to various natural phenomena in coastal processes which affect the coastal line through Coastal Engineering Research Centre and other State Organisations.

(ii) to organised general investigation, studies and research with the help of Central and State Coastal Engineering Research Institutes.

(iii) to lay down principles in construction techniques of coastal protection measures for the guidance of State Authorities.

(iv) to review the performance of the works carried out by States and evolve improved design techniques based on such experience from time to time.

(v) to inter-act with international agencies engaged in the work of coastal protection and technology transfer in the field of coastal protection.

(vi) to identify the coastal zone to be developed behind the coastal protection works with the help of State Governments.

(vii) to identify the development potential in various techno-economic activities and advise the concerned State Governments to prepare programmes for development.

(viii) to draw up long term and short term plans for coastal protection and development of the coastal zone.

(ix) to appraise and recommend various coastal protection and development works for inclusion in State plans.

(x) to arrange effective and timely monitoring of the coastal protection & development projects.

(xi) to review the action plan for rehabilitation and resettlement of the coastal development affected people and monitor the progress on rehabilitation and resettlement.

4. *The Advisory Committee*

(i) shall hold its meetings at such places and in a manner as may be determined by the Chairman of the Advisory Committee.

(ii) may invite to its meetings such other experts/persons as it may consider necessary.

(iii) may appoint such Sub-Committees as it may consider necessary for any specific purpose.

(iv) shall convene meetings as often as necessary but atleast twice in a year.

(v) shall report directly to the Ministry of Water Resources about its activities.

(vi) T. A. and D. A. of the non official members will be paid by Central Water Commission as per relevent Government of India rules.

ORDER

ORDERED that this resolution, superseding Ministry of Irrigation & Power's resolutions Nos. DW-515(7)/63 dated 2-2-1966, FC-15(3)/71 dated 4-6-1991 and No. 15/3/86-FC dated 28-8-1989 be communicated to the concerned State Governments and Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and the Ministries of Surface Transport, Defence, Human Resources, Science & Technology, Finance (Deptt. of Expenditure), Home Affairs, Railways, Works Housing & Urban Development etc. for information.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

M. S. REDDY, Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th May 1995

No. Q-16012/1/93-ESA(NLI).—WHEREAS reconstitution of the National Labour Institute was notified *vide* Notification No. Q-16012/1/93-ESA (NLI), dated the 18th August, 1994.

NOW, in the said Notification, the following change is hereby made :—

For the existing entry under the heading 'CENTRAL GOVERNMENT REPRESENTATIVES (9)' :—

"Shri Kosalram, — Member
Joint Secretary & Financial
Adviser,
Ministry of Labour,
New Delhi."

The following entry shall be substituted :—

"Shri Vivek Mehrotra, — Member
Joint Secretary & Financial
Adviser,
Ministry of Labour,
New Delhi."

RANJANA KALE, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995